राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1820/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रताप सिंह एडवोकेट कोर्ट परिसर] बहरोड], Alwar,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पीआरसी सीबी, सीआईडी, विभाग, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 12/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री महेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 5-8-17 पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत कर एफआईआर 167/17 थाना बहरोड़ के सम्बन्ध में दिनांक 2-8-17 को उप अधीक्षक वृत किशनगढ़, किशनगढ़बास अलवर से जांच बदलकर जिले के अन्य पुलिस अधिकारी से करवाने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया था पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 5-10-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का आवेदन दिनांक 5-8-17 पत्र दिनांक 16-8-17 से राज्य लोक सूचना अधिकारी कार्यालय महानिरीक्षक, पुलिस, जयपुर रेन्ज, जयपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित कर अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था एवं कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सीआईडी, अपराध शाखा ने पत्र दिनांक 18-8-17 से पुलिस अधीक्षक, राज्य लोक सूचना अधिकारी, अपराध शाखा, जयपुर को पत्र प्रेषित कर संसूचित किया कि अपीलार्थी का परिवाद अनुभाग में प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्र दिनांक 11-8-17 से महानिरीक्षक, पुलिस, जयपुर को मूल ही प्रेषित कर दिया था। अपीलार्थी को भी पत्र दिनांक 18-8-17 से संसूचित कर दिया गया था। तदुनसार प्रथम अपील भी महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज, जयपुर के कार्यालय को प्रेषित की गई। अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 5-10-17 के साथ पूर्व पत्र दिनांक 6-9-17 की प्रति मय संलग्न एक पृष्ठीय सूचना पंजीकृत डाक से भिजवा दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के क्रम में सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त